an>

Title: Regarding Employees Pension Scheme, 1995.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश के लगभग साढ़े पांच करोड़ कर्मचारियों को ई.पी.एस., 1995 पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। अब 36 लाख लोग उसके लाभार्थी हैं। सरकार ने हाल ही में कदम उठाया और वह पेंशन मिनिमम 1000 रुपये कर दी गई। इस बारे में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वर्ष 2013 में आई। वह कोश्यारी कमेटी थी। कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंडेशन्स की थीं। हमारे एच.आर.डी. मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी यहां बैठे हैं, उन्होंने राज्य सभा पेटीशन्स कमेटी के पास पेटीशन दिया था और वहां भी उन्होंने मांग की। उस पेटीशन्स कमेटी और अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के तहत मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये प्लस डीए देने की सिफारिश की गई। आज तक वह पेंशन नहीं बढ़ रही है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने विदड्रॉ कर लिया। इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है, वह मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास 17 मांगों के निवेदन आए हैं, मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यह महत्वपूर्ण मुद्दा बताना चाहता हूं। आप और हम सभी जानते हैं कि इस 1000 रुपये से कैसे गुजारा होता है, लेकिन 3,000 रुपये करने के लिए जो पेंशन फण्ड बना रहे हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। इसमे सरकार का कंट्रीब्यूशन होने की आवश्यकता है। सरकार को इसमें 8.33 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन करने की सिफारिश की गई है। अगर उसे सरकार करे तो इन सारे कर्मचारियों को सुरक्षा मिल सकती है। सिक्योरिटी की बात है और एज की बात है। …(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से शून्य काल में मांग करता हूं कि उनको जो भी ऑप्शन देते हैं, उसे वैसा का वैसा ही लागू करें और 3,000 रुपये

प्लस डीए की जो सिफारिश की गई है, उसे लागू करें तो लोग खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह सरकार इस काम को तुरंत करेगी।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री विनायक भाऊराव राऊत एवं डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र गावित – उपस्थित नहीं।

श्रीमती बुत्ता रेणुका।